(नियम 13)

अज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

रामखिलाडी बनाम हाकिमसिंह वगै०

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत 53, 188 R+Act नं. 136 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16/6/2023	पत्रावली आज वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रशासन गांव के संग अभियान -2023 कैम्प देवखेड़ा में पेश हुई। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारानों के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया है। अब हम उपरोक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते है वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित स्थगन नोट हटाने बाबत परवाना तहसीलदार राजाखेड़ा को जारी किए जाने हेतु निवेदन किया। हमने वादी के अधिवक्ता को सुना पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया वादी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से समझौता होना जाहिर किया अतः वादी की प्रार्थना अनुसार वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मूलवाद खारिज होने पर दिनांक 30/9/22 को जारी T.I. स्वतः निरस्त हो जाता है अतः विवादित आराजी पर लगे स्थगन दिनांक 30/9/22 को निरस्त करने बाबत तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा	निशानी रामखिलाडी [signature] दिनेश शर्मा एड.